

16/3/2022

अध्यालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब ना म	प्रतिवादी	
लालचन्द पुत्र नाथूलाल कुमावत कुचामनसिटी		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी	
राजस्व वाद = वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act1955 एवं 136 R.L.Act1956 शुद्धि बाबत			
वाद-पत्र नम्बर	36 / 2022	GCMS No. 2022/58	
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हूए
04.03.2022	<p>वादी/प्रार्थी श्री लालचन्द पुत्र नाथूलाल कुमावत निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी एक प्रार्थना-पत्र/वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act1955 एवं 136 R.L.Act1956 के तहत प्रस्तुत किया। दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 16.03.2022 को में पेश हो।</p>		
16.03.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का अवलोकन किया गया। वादी लालचन्द द्वारा एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्बत 2073-2076 ग्राम कुचामनसिटी पटवार मण्डल कुचामनसिटी के खाता नम्बर 991 खसरा नम्बर 1655, 1656 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि लालाराम पुत्र नाथूलाल कुमावत कुचामनसिटी दर्ज है, जो अशुद्ध है।</p> <p>वादी का शुद्ध नाम लालचन्द पुत्र नाथूलाल कुमावत निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा आधार नम्बर 967700226938 दस्तावेज की छाया प्रति प्रस्तुत की है।</p> <p>इस संबंध में हल्का पटवारी हल्का कुचामनसिटी भू.अ.नि कुचामनसिटी एवं तहसीलदार कुचामनसिटी से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है।</p> <p>अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।</p>		

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी(नागौर)



उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

7173